भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1609
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एकीकृत अवसंरचना नीति

1609. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के अरनी तालुका के कटोडा स्थित बेड्या बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिले-वार जो आवास स्वीकृत किए गए हैं, पानी की सुविधा के अभाव में लाभार्थी उनमें निवास नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक एकीकृत अवसंरचना नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के अरनी तालुका के कटोडा स्थित बेड्या बस्ती में 47 परिवारों को आवास तो मिल गए हैं, लेकिन पानी, सड़क और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं;

(घ) क्या सरकार योजना के ऐसे अपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय करने पर विचार कर रही है;

(ङ) क्या सरकार के पास यवतमाल जिले के कटोडा गांव जैसी स्थिति वाले अन्य लाभार्थी समूहों की सूची है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या लाभार्थियों के आवासों का निर्माण अधूरा है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों में तत्काल धनराशि या सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए इस योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कोई एकीकृत अवसंरचना नीति नहीं है। हालाँकि, भूमिहीन लाभार्थी के मामले में, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि (पंचायत की साझा भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि) सहित किसी अन्य भूमि से भूमि उपलब्ध कराई जाए। चयनित भूमि के लिए, पर्याप्त अवसंरचना, जैसे बिजली, सड़क संपर्क और पेयजल की उपलब्धता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ सुनिश्चित की जानी चाहिए।

योजना के अंतर्गत प्रदान की गई इकाई सहायता के अलावा, स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत के साथ समन्वय के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000/- रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मनरेगा योजना के साथ समन्वय में पीएमएवाई-जी लाभार्थी को अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान दरों पर 90/95 श्रम दिवस अकुशल मजदूरी रोजगार सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। पीएमएवाई-जी परिवारों को पाइप पेयजल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी प्रदान किया जाता है और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के साथ समन्वय के माध्यम से निर्माण सामग्री भी प्रदान की जाती है। योजना के तहत समन्वय में बेहतर आजीविका के अवसरों का पता लगाने के लिए एनआरएलएम के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के अंतर्गत पीएमएवाई-जी परिवारों की महिला सदस्यों को सम्मिलित करना भी शामिल है।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि सभी पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच प्रदान की गई है, जिनमें महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के अरनी तालुका, कटोडा, बेद्या बस्ती के लाभार्थी भी शामिल हैं। मंत्रालय पूरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

को लक्ष्य आवंटित करता है और ज़िलावार/ब्लॉकवार/ग्राम पंचायतवार लक्ष्य राज्य द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों, स्वीकृत आवासों और निर्मित आवासों का ब्लॉकवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ङ) एवं (च): इस मंत्रालय के संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है।

अनुबंध

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत एकीकृत अवसंरचना नीति" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1609 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत ब्लॉकवार आवंटित लक्ष्य, स्वीकृत आवास और निर्मित आवास

क्र.सं.	ब्लॉक	जिलों द्वारा निर्धारित लक्ष्य	स्वीकृत आवास	निर्मित आवास
1	अर्नी	17247	16718	5136
2	बाबुलगांव	8074	7822	2617
3	दारव्हा	21311	20195	4873
4	दिग्रास	14964	14349	3573
5	घाटंजी	16216	15572	5266
6	कलंब	7965	7873	3285
7	केलापुर	12158	11961	3720
8	महगांव	24598	23828	4648
9	मारेगांव	4519	4496	946
10	नेर	11163	10880	2840
11	पुसाद	46815	43212	9644
12	रालेगांव	8976	8761	2554
13	उमरखेड़	31209	28828	6309
14	वानी	7069	6849	1658
15	यवतमाल	12009	11705	4182
16	जरी जमनी	6006	5673	1588
	कुल	**2,50,299**	**2,38,722**	**62,839**